न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2407–पीबीआर/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 18–06–12 पारित अपर कलेक्टर जिला विदिशा प्रकरण कमांक 253/10–11 निगरानी.

1– माखन सिंह पुत्र स्व0 कौमलसिंह
2– भगवानसिंह पुत्र स्व0 कोमलसिंह
दोनों निवासी ग्राम मर्दानपुर, तह0 व
जिला रायसेन, म0प्र0 ––– आवेदकगण

विरूध्द

1– कलाबाई बेवा स्व0 छोटेलाल कुशवाह
2– बाबूलाल पुत्र स्व0 छोटेलाल कुशवाह
3– गयाप्राद पुत्र स्व0 छोटेलाल कुशवाह
4– मनोज पुत्र स्व0 छोटेलाल कुशवाह
5– मोहनलाल उर्फ झट्टू पुत्र स्व0 छोटेलाल कुशवाह
सभी निवासी होमगार्ड आफिस के सामने,
हीरापुरा, विदिशा, म0प्र0
6– शांताबाई पुत्री स्व0 छोटेलाल कुशवाह पत्नि
दौलतसिंह,नि0 सुखी सेंवनिया के पास
ग्राम कल्याणपुर
7– शारदाबाई पुत्री स्व0 छोटेलाल कुशवाह पत्नि
मत्थूसिंह, नि0 टीलाखेड़ी, विदिशा
8– हीरालाल पुत्र स्व0 सोमतसिंह नाबालिग
नि0 होमगार्ड आफिस के सामने,
हीरापुरा, विदिशा ––– अनावेदकगण
9– मोहनबाई बेवा कोमलसिंह कुशवाह
10– गोपालसिंह पुत्र कोमलसिंह कुशवाह
11– बैजनाथसिंह पुत्र कोमलसिंह कुशवाह
12– राजेन्द्रसिंह पुत्र कोमलसिंह कुशवाह
निवासी ग्राम मर्दानपुरा, तह0 व जिला रायसेन
13– लक्ष्मीबाई बेवा सोमतसिंह
14– प्रीतम पुत्र सोमतसिंह
15– माखनलाल पुत्र सोमतसिंह

16– कल्लू पुत्र सोमतसिंह
सभी नाबालिग सरपरस्त मॉ लक्ष्मीबाई बेवा सोमतसिंह
नि0 करईया रोड गली नं0 3, अहमदपुर चौराहा के
पास, विदिशा, म0प्र0
17– म0प्र0 शासन ––– औपचारिक अनावेदकगण

श्री पूरनसिंह, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री डी.के.शुक्ला शास. अभि .अना. क. 17

आदेश

(आज दिनांक 14 नवम्बर, .2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला विदिशा के निगरानी प्रकरण कमांक 253/10–11 में पारित आदेश दिनांक 18–06–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण माखनसिंह, भगवान सिंह पुत्रगण कोमलसिंह तथा अन्य 4 ने नामान्तरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 28–2–94 एवं 12–3–01 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब को माफ करने हेतु समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण करने के बाद अपने आदेश दिनांक 29–08–11 में यह निष्कर्ष निकाला कि रिस्पोडेन्ट ने इस बात का खण्डन नहीं किया है कि अपीलान्ट के पिता एवं पति कोमलसिंह भागचन्द के पुत्र नहीं थे। नामान्तरण के पूर्व अपीलान्ट के पति एवं पिता को नामान्तरण की कोई सूचना दी जाना परिलक्षित नहीं होता। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलान्ट का धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार किया। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक क0 1 से 8 ने निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 18–6–12 व्दारा

निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29–8–11 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि अपीलान्टगण ने नामान्तरण पंजी क0 27 दिनांक 12–3–01 एवं नामान्तरण पंजी कमांक 14 आदेश दिनांक 28–2–94 के अतिरिक्त प्रकरण क0 191 के विरूध्द भी अपील प्रस्तुत की गयी है, इसलिये उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद धारा 5 के आवेदनपत्र पर आदेश पारित करें। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदकगण के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम विदिशा स्थित प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि होकर आवेदकगण के दादा स्व. भागचन्द्र पुत्र गणेशराम के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। भागचन्द के चार पुत्र कोमलसिंह, काशीराम, छोटेलाल एवं मूलचन्द्र थे और इन्हीं चारों पुत्रों के वारिसान आवेदकगण एवं अनावेदकगण हैं। नामान्तरण पंजी क0 27 पर भागचन्द, मूलचन्द एवं काशीराम का बटवारे के आधार पर नामान्तरण प्रमाणित किया गया है तथा नामान्तरण पंजी क0 14 पर बटवारे के आधार पर भागचन्द एवं छोटेलाल का नामान्तरण प्रमाणित किया गया हैं। उनका तर्क है कि भागचन्द के पुत्र आवेदकगण के पिता कोमलसिंह थे और प्रश्नाधीन पैत्रिक भूमि होने से छोटेलाल के साथ ही भागचन्द्र के अन्य पुत्रों को भी प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व होने से नामान्तरण की पात्रता थी, किन्तु नामान्तरण पंजी में आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण व उंनके पिता कोमलसिंह को कोई सूचना नहीं दी गयी। आवेदकगण को नामान्तरण आदेश की जानकारी होने पर उन्होंने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की और विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को माफ करने में कोई विधिक या प्रकिया संबंधी त्रुटि नहीं की गयी थी। अपर कलेक्टर ने तकनीकी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश

निरस्त करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क. 1 से 8 की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अना. क. 9 से 16 तक तरतीवी पक्षकार है इसलिये उनकी उपस्थिति आवश्यक नही हैं ।

5/ अनुविभागीय अधिकारी ने रिस्पोडेन्ट व्दारा इस बात का खण्डन नहीं करने से कि अपीलान्ट के पिता एवं पति कोमलसिंह भागचन्द के पुत्र नहीं थे एवं नामान्तरण के पूर्व अपीलान्ट के पति एवं पिता को नामान्तरण की कोई सूचना दी जाना परिलक्षित नहीं होने से धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार किया गया है। नामान्तरण पंजी कमांक 14 पर बटवारे के आधार पर ख0क0 645/1 का रकबा 0.105 तथा ख0नं0 662/1 रकबा 0.104 कुल किता 2 कुल रकबा 0.209 पर भागचन्द पुत्र गणेश तथा ख0क0 645/1/2 का रकबा 0.125 तथा ख0नं0 662/1 रकबा 0.84 कुल किता 2 कुल रकबा 0.209 पर छोटेलाल पुत्र भागचन्द का नामान्तरण प्रमाणिकृत किया गया है। नामान्तरण पंजी कमांक 27 पर बटवारे के आधार पर सर्वे नं0 645/1 मिन रकबा 0.010 पर भागचन्द्र, सर्वे नं0 662/2 रकबा 0.104 पर मूलचन्द तथा सर्वे नं0 645/1 रकबा 0.095 पर काशीराम का नामान्तरण प्रमाणितकृत किया गया है। छोटेलाल की मृत्यु के बाद प्रकरण कमांक 1/अ–6/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 18–4–2000 व्दारा छोटेलाल के स्थान पर अनावेदकगण कलाबाई आदि व्दारा नामान्तरण स्वीकार किया गया है। इस प्रकरण में कलाबाई आदि ने म0प्र0शासन को अनावेदक बनाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि होने व आवेदकगण के पिता कोमलसिंह भागचन्द का पुत्र होने से वह नामान्तरण में हितग्राही पक्षकार था और उसे नामान्तरण के पूर्व नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार व्यक्तिशः सूचनापत्र तामील करना अनिवार्य था। संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार भी हितग्राही समस्त व्यक्तियों को लिखित प्रज्ञापना देना आवश्यक था। दशरथ तथा अन्य

वि0 भुवनलाल तथा अन्य (1994 रा.नि. 102) में राजस्व मण्डल व्दारा यह व्यवस्था दी गयी है कि नामान्तरण रजिस्टर पर आपसी सहमति के आधार पर आपसी विभाजन के आधार पर नामान्तरण। नामान्तरण एव विभाजन का संग्रहित आदेश आरंभतः शून्य है, इसलिये परिसीमा का प्रश्न उदभूत नहीं होता। मा0 उच्च न्यायालय ने जुगल किशोर वि. म0प्र0राज्य तथा अन्य (2005 रा.नि. 186) में यह व्यवस्था दी है कि –

" भू–राजस्व संहिता 1959 धारा 178 – चार भाई खाते में समान अंश के हकदार – उसमें से एक विकृतचित्त को कोई अंश आवंटित नहीं किया गया– आदेश शून्य एवं अवैध है। 23 वर्ष पश्चात अपील ग्रहण किया जाना अनुज्ञेय है।"

ऐसी दशा में विलम्ब को माफ करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी थी जिसे बिना किसी पर्याप्त आधार के तकनीकी आधार पर अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी में निरस्त करने में त्रुटि की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 18–06–12 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29–08–11 यथावत रखा जाता है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को विधिवत गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु वापिस किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,